



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 08 जनवरी, 2025 / 18 पौष, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 7th January, 2025*

**No. UD-A(3)-11/2024-Mandi.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal

Pradesh is pleased to nominate the following persons as members (Government Nominee) in Nagar Panchayat Rewalsar, District Mandi, Himachal Pradesh:—

1. Smt. Rosy Soni w/o Sh. Yaspal Singh, V.P.O. Rewalsar, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).
2. Sh. Gopal Singh s/o Sh. Shandev, V.P.O. Rewalsar, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).
3. Sh. Laxmi Dutt Sharma s/o Late Sh. Jeet Ram Sharma, Ward No. 3, Nagar Panchayat Rewalsar, District Mandi (H.P.).

By order,  
Sd/-  
(DEVESH KUMAR),  
Pr. Secretary (UD).

### ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : श्रीमती लता देवी पुत्री श्री दिला राम, निवासी गांव रिड़ी, डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)। प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थिया श्रीमती लता देवी पुत्री श्री दिला राम, निवासी गांव रिड़ी, डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि संबन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसकी जन्म तिथि 02-04-1976 है। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती लता देवी पुत्री श्री दिला राम, निवासी गांव रिड़ी, डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत जुखाला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-01-2025 को या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित हों अन्यथा श्रीमती लता देवी पुत्री श्री दिला राम, निवासी गांव रिड़ी, डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत जुखाला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,  
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : श्री भगत राम पुत्र श्री झौंडू राम, निवासी गांव सैकली, डा0 दयोथ, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।  
... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री भगत राम पुत्र श्री झौंडू राम, निवासी गांव सैकली, डा0 दयोथ, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि संबन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसकी जन्म तिथि 04-04-1975 है। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी श्री भगत राम पुत्र श्री झौंडू राम, निवासी गांव सैकली, डा0 दयोथ, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत दयोथ, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-01-2025 को या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री भगत राम पुत्र श्री झौंडू राम, निवासी गांव सैकली, डा0 दयोथ, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत दयोथ, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,  
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : श्री सुख राम पुत्र श्री फिमणू राम, निवासी गांव समोग कनैता, डा0 छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।  
... प्रार्थी।

बनाम

## आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री सुख राम पुत्र श्री फिमणू राम, निवासी गांव समोग कनैता, डा0 छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि संबन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसकी जन्म तिथि 01-07-1952 है। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी श्री सुख राम पुत्र श्री फिमणू राम, निवासी गांव समोग कनैता, डा0 छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत छकोह, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-01-2025 को या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री सुख राम पुत्र श्री फिमणू राम, निवासी गांव समोग कनैता, डा0 छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत छकोह, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,  
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : श्री राम लाल पुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव मलोखर, डा0 छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री राम लाल पुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव मलोखर, डा0 छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि संबन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसकी जन्म तिथि 05-05-1974 है। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी श्री राम लाल पुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव मलोखर, डा0 छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत छकोह, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-01-2025 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित हों अन्यथा श्री राम लाल पुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव मलोखर, डा0 छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत छकोह, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,  
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

### ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : श्रीमती रोशनी देवी पुत्री श्री दुर्गा राम, निवासी गांव मित्रमा (स्याहोला), डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)। प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थिया श्रीमती रोशनी देवी पुत्री श्री दुर्गा राम, निवासी गांव मित्रमा (स्याहोला), डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि संबन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसकी जन्म तिथि 28-05-1942 है। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती रोशनी देवी पुत्री श्री दुर्गा राम, निवासी गांव मित्रमा (स्याहोला), डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत जुखाला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-01-2025 को या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित हों अन्यथा श्रीमती रोशनी देवी पुत्री श्री दुर्गा राम, निवासी गांव मित्रमा (स्याहोला), डा0 जुखाला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत जुखाला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,  
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)**

ब मुकद्दमा : श्री अंकज कुमार पुत्र श्री रुप लाल, निवासी गांव व डा0 सलनू, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती अंजली ठाकुर पुत्री श्री ईश्वर दास, निवासी गांव नाली चंगर, डा0 रानीकोटला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री अंकज कुमार पुत्र श्री रुप लाल, निवासी गांव व डा0 सलनू, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती अंजली ठाकुर पुत्री श्री ईश्वर दास, निवासी गांव नाली चंगर, डा0 रानीकोटला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 14-06-2024 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत निचली भटेड़, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 14-06-2024 को दर्ज करने बारे में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-01-2025 तक या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित हों अन्यथा श्री अंकज कुमार पुत्र श्री रुप लाल, निवासी गांव व डा0 सलनू, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती अंजली ठाकुर पुत्री श्री ईश्वर दास, निवासी गांव नाली चंगर, डा0 रानीकोटला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत निचली भटेड़, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,  
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

**ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)**

ब मुकद्दमा : श्रीमती रोशनी देवी पुत्री श्री खजाना राम, निवासी गांव मलोखर, डा0 छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)। प्रार्थीया।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थिया श्रीमती रोशनी देवी पुत्री श्री खजाना राम, निवासी गांव मलोखर, डा0 छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि संबन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, उसकी जन्म तिथि 27-06-1965 है। इसे दर्ज करने के आदेश किये जायें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती रोशनी देवी पुत्री श्री खजाना राम, निवासी गांव मलोखर, डा0 छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत छकोह, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-01-2025 को या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित हों अन्यथा श्रीमती रोशनी देवी पुत्री श्री खजाना राम, निवासी गांव मलोखर, डा0 छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत छकोह, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,  
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, जयसिंहपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 13/N/2024

तारीख पेशी : 15-01-2025

कुमारी सुनीता देवी पुत्री मस्त राम, निवासी गांव व डा0 लम्वागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थिया कुमारी सुनीता देवी पुत्री मस्त राम, निवासी गांव व डा0 लम्वागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 05-03-1978 को गांव लम्वागांव, ग्राम पंचायत लम्वागांव में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश मेरे जन्म का पंजीकरण मेरे माता-पिता द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से जन्म पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत लम्वागांव को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त कुमारी सुनीता देवी पुत्री मस्त राम की जन्म तिथि 05-03-1978 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज है तो वह

असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 15-01-2025 को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व उक्त कुमारी सुनीता देवी पुत्री मस्त राम के जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत लम्बागांव को पारित कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 12-12-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,  
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती बारे अयोध्या देवी

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बाबत नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थिया अयोध्या देवी विधवा देश राज, निवासी महाल रुहडू, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

प्रार्थिया अयोध्या देवी विधवा देश राज, निवासी महाल रुहडू, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने शपथ पत्र सहित इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम महाल रुहडू, मौजा घरोह में अजूध्य देवी विधवा देश राज दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थिया अपना नाम राजस्व रिकार्ड महाल रुहडू, मौजा घरोह में अजूध्य देवी की बजाए अयोध्या देवी विधवा देश राज दर्ज करवाना चाहती है जोकि प्रार्थिया का सही नाम है। प्रार्थिया ने इसकी पुष्टि के लिए शपथ पत्र भी साथ लगाया है। मिसल को छानबीन हेतु हल्का कानूनगो को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1069 रीडर-1 दिनांक 01-10-2024 को भेजा गया। राजस्व अभिकरण द्वारा प्रार्थिया द्वारा दिये गए दस्तावेजों का अवलोकन किया गया व उचित छानबीन की गई तथा अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की।

अतः इस मुश्त्री मुनादी के द्वारा आम जनता तथा संबन्धित पक्षों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अयोध्या देवी विधवा देस राज के नाम कि दुरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-01-2025 को उपस्थित होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 17-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,  
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।



**ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 03 / 2024

तारीख पेशी : 16-01-2025

श्रीमती विमला देवी पुत्री सिधू हाल पत्नी जय सिंह, निवासी गांव रूजग, डा0 भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर विमला देवी पुत्री सिधू हाल पत्नी जय सिंह, निवासी गांव रूजग, डा0 भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में विमला देवी पुत्री सिधू व पत्नी जय सिंह है परन्तु महाल तरमेहर के राजस्व अभिलेख में सवेरो देवी पुत्री सिधू पुत्र घिपू दर्ज हुआ है जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके सवेरो देवी उपनाम विमला देवी पुत्री सिधू पुत्र घिपू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-01-2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत का सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

कश्मीर सिंह पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव मंधोल, डा0 ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कशमीर सिंह पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव मंधोल, डा0 ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री भगत राम पुत्र श्री हिमा की मृत्यु दिनांक 12-07-1972 को गांव मंधोल में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-01-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 07-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

माया देवी पुत्री श्री अनन्त राम, निवासी गांव रजोट उपराला, डा0 रजोट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

माया देवी पुत्री श्री अनन्त राम, निवासी गांव रजोट उपराला, डा0 रजोट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 03-05-1954 को गांव चौबीन में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 07-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,  
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 53/RNTK किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 17-01-2025

कुन्दन लाल पुत्र जगदीश कुमार पुत्र दयालू, निवासी उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उनवान : नाम दुरुस्ती हेतु आवेदन पत्र।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी कुन्दन लाल ने इस अदालत में अपने पिता के नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड में जगदीश पुत्र दयालू दर्ज है जबकि तमाम रिकार्ड में जगदीश कुमार पुत्र दयालू दर्ज है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत नकल परिवार रजिस्टर वर्ष 2020-21 महाल सिहुणी, आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रति हल्फिया ब्यान की प्रति साथ संलग्न की है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि जगदीश की बजाये जगदीश उर्फ जगदीश कुमार पुत्र दयालू किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 17-01-2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 21-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,  
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील कोटला,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 52/RNTK किस्म मुकद्दमा : जाति दुरुस्ती तारीख पेशी : 17-01-2025

शिव चरण सिंह पुत्र जगर राम पुत्र रोजगारी, महाल भौन्का, मौजा बाड़, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उनवान : जाति दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

बनाम

आम जनता

शिव चरण सिंह पुत्र जगर राम पुत्र रोजगारी, महाल भौन्का, मौजा बाड़, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 का स्थाई निवासी है। जिसने जाति दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है। क्योंकि महाल भौन्का, मौजा बाड़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति गद्दी सिपि उप-जाति भरद्वाज दर्ज है जोकि सही न है। परन्तु हमारी भूमि महाल गोतला, तहसील सिहुन्ता, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में हमारी जाति सिपि उप-जाति भरद्वाज दर्ज है जोकि सही है। अतः प्रार्थी भौन्का मौजा बाड़ के राजस्व रिकार्ड में जाति गद्दी सिपि उप-जाति भरद्वाज की बजाये जाति सिपि उप-जाति भरद्वाज दर्ज कागजात करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जाति दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई एतराज या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 17-01-2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है हाजिर न आने की सूरत में प्रार्थी की जाति दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण।

तारीख पेशी : 20-01-2025

राजिन्द्र कुमार पुत्र परमानन्द, निवासी गांव गरला सरकारी, डा0 गरला देई, उप-तहसील सुलह,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी राजिन्द्र कुमार पुत्र परमानन्द, निवासी गांव गरला सरकारी, डा0 गरला देई, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के बेटे का जन्म दिनांक 16-08-1985 को गांव गरला सरकारी, डा0 गरला देई में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत गरला के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के जन्म पंजीकरण को ग्राम पंचायत गरला के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी के बेटे अमित कुमार पुत्र राजिन्द्र कुमार के जन्म दिनांक 16-08-1985 के आदेश ग्राम पंचायत गरला के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 52 / Misc. / NT / 2024

श्री सोम चन्द पुत्र श्री हरवन्श सिंह, निवासी गांव गठोता, डा0 उलैहड़ियां, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।  
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री सोम चन्द पुत्र श्री हरवन्श सिंह, निवासी गांव गठोता, डा0 उलैहड़ियां, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-05-1950 को गांव गठोता, पंचायत उलैहड़ियां, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है। जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका जिसे वह ग्राम पंचायत उलैहड़ियां के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-01-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत उलैहड़ियां के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 53 / Misc. / NT / 2024

श्री शिव दयाल पुत्र श्री गरीबदास, निवासी गांव, डा0 व उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।  
प्रार्थी।

बनाम

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री शिव दयाल पुत्र श्री गरीबदास, निवासी गांव, डा0 व उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनके चाचा की मृत्यु दिनांक 19-05-2010 को गांव, पंचायत व उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई है। जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका जिसे वह ग्राम पंचायत ठाकुरद्वारा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-01-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत ठाकुरद्वारा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 34/C/T/2024

तारीख पेशी : 06-02-2025

श्री रीता देवी पुत्री राम चन्द, निवासी महाल छौंट, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया श्री रीता देवी पुत्री राम चन्द, निवासी महाल छौंट, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त गन्धवाड के राजस्व महाल छौंट, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम ऋतु देवी दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण-पत्र में उसका नाम रीता देवी दर्ज है, जो कि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम रीता देवी उपनाम ऋतु देवी दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-02-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया श्री रीता देवी पुत्री राम चन्द, निवासी महाल छौंट,

डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त गन्धवाड के महाल छौंट, के राजस्व अभिलेख में रीता देवी उपनाम ऋतु देवी पुत्री राम चन्द दर्ज करने के ओश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 72 / तह / 2024

तारीख पेशी : 16-01-2025

व्यासा देवी पुत्री श्री फुलगर राम, गांव अप्पर ठेहडू, डा0 कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।  
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में व्यासा देवी पुत्री श्री फुलगर राम, गांव अप्पर ठेहडू, डा0 कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 09-12-1944 को गांव अप्पर ठेहडू, डा0 कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ पत्र भी संलग्न किया है। परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत अप्पर ठेहडू को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को व्यासा देवी पुत्री श्री फुलगर राम, गांव अप्पर ठेहडू, डा0 कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 09-12-1944 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-01-2025 को दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत अप्पर ठेहडू को जारी कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07-12-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 75/तह/2024

तारीख पेशी : 18-01-2025

कुन्ती देवी पुत्री स्व0 श्री खजाना राम, गांव गदियाड़ा, डा0 धुपकियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।  
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कुन्ती देवी पुत्री स्व0 श्री खजाना राम, गांव गदियाड़ा, डा0 धुपकियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 25-01-1951 को गांव गदियाड़ा, डा0 धुपकियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ग्राम पंचायत नाहलना में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ पत्र भी संलग्न किया है। परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत नाहलना को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुन्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कुन्ती देवी पुत्री स्व0 श्री खजाना राम, गांव गदियाड़ा, डा0 धुपकियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 25-01-1951 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18-01-2025 को दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत नाहलना को जारी कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 18-12-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,  
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0  
64/24/TEH

तारीख दायरा  
23-12-2024

तारीख पेशी  
17-01-2025

प्रार्थी सोनू कुमार पुत्र गोविन्द सिंह, निवासी महाल व उप-तहसील हारचक्रियां, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम



## आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल झिकली इच्छी, पटवार वृत्त इच्छी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता जी का नाम लखवन्ती दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी की माता का नाम लाजवन्ती देवी दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम लखवन्ती की बजाए लखवन्ती उपनाम लाजवन्ती देवी रिडकू दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 17-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,  
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,  
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0  
56 / 24 / TEH

तारीख दायरा  
16-12-2024

तारीख पेशी  
17-01-2025

प्रार्थी राजेश कुमार पुत्र पूर्ण चन्द, निवासी महाल चौहन्दा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल चौहन्दा, पटवार वृत्त चौहन्दा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजू दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम राजेश कुमार पुत्र पूर्ण चन्द दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम राजू की बजाए राजेश कुमार पुत्र पूर्ण चन्द दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 17-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,  
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,  
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० 54/24/TEH	तारीख दायरा 16-12-2024	तारीख पेशी 21-01-2025
-----------------------	---------------------------	--------------------------

प्रार्थी हरवंश लाल उपनाम हरवंश सिंह, निवासी गांव व डा० मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि० प्र०

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल अनसोली, पटवार वृत्त मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि० प्र० के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरवंश लाल दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम हरवंस सिंह दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम हरवंश लाल की बजाए हरवंश लाल उपनाम हरवंश सिंह पुत्र वृजलाल दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 21-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,  
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० 25/2024	तारीख दायरा 16-12-2024	तारीख पेशी 21-01-2025
---------------------	---------------------------	--------------------------

प्रार्थिया श्रीमती मधू वाला पुत्री श्रीमती कंला देवी पत्नी हमीर चन्द, निवासी महाल गांव व डा0 कुल्थी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया मधू वाला पुत्री श्रीमती कंला देवी पत्नी हमीर चन्द, निवासी महाल गांव व डा0 कुल्थी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 05-03-1971 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत कुल्थी के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 21-01-2025 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 16-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,  
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
57 / 24 / TEH	18-12-2024	17-01-2025

प्रार्थी गिरधारी लाल पुत्र केहर सिंह, निवासी महाल भेड़ी, डा0 वन्डी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल सनौरा, पटवार वृत्त गगल, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अमृत दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम गिरधारी लाल दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम अमृत की बजाए गिरधारी लाल पुत्र केहर सिंह दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 17-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,  
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,  
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0  
55/24/TEH

तारीख दायरा  
18-12-2024

तारीख पेशी  
17-01-2025

प्रार्थी जोगिन्द्र कुमार पुत्र रसीला राम, निवासी गांव व डा0 इच्छी, तहसील व जिला कांगड़ा,  
हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल झिकली इच्छी, पटवार वृत्त इच्छी खास, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जोगिन्द्र सिंह दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम जोगिन्द्र कुमार दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम जोगिन्द्र सिंह की बजाए जोगिन्द्र सिंह उपनाम जोगिन्द्र कुमार पुत्र रसीला राम दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 17-01-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-12-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,  
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 26 / 2024	तारीख दायरा 18-12-2024	तारीख पेशी 17-01-2025
-----------------------	---------------------------	--------------------------

प्रार्थी संजय कुमार पुत्र माया दास, निवासी महाल सनौरा, डा0 गगल, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रार्थी संजय कुमार पुत्र माया दास, निवासी महाल सनौरा, डा0 गगल, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि उसके दादा की मृत्यु दिनांक 10-10-1977 को हुई थी। लेकिन उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत सनौरा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 17-01-2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 19-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।  
मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**In the Court of Ms. Kavita Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),  
District Shimla (H.P.)**

Geeta Ram s/o Sh. Jai Singh Thakur, r/o Village Karyali, P.O. Neri, Tehsil & District Shimla, H.P.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Whereas Geeta Ram s/o Sh. Jai Singh Thakur, r/o Village Karyali, P.O. Neri, Tehsil & District Shimla, H.P. filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his/her name Sh. Geeta Ram as 18-02-1981 in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Neri, Shimla, H.P.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Geeta Ram	Self	18-02-1981

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Neri, Shimla, H.P. may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 03-01-2025 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-  
*Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (R), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum- Sub-Division Magistrate, Shimla Rural,  
District Shimla, Himachal Pradesh**

1. Sh. Anil Kumar Chandel s/o Sh. Sansar Chandel, r/o Chandel Niwas, House No. 118, Near Sankatmochan Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh Age 46 years.

2. Smt. Purnima Thakur d/o Sh. Man Singh Thakur, r/o Thakur Niwas, Airport Road, Totu Shimla, District Shimla (H.P.) Age 38 years.

*Versus*

General Public

*Registration of marriage under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996.*

Sh. Anil Kumar Chandel s/o Sh. Sansar Chandel, r/o Chandel Niwas, House No. 118, Near Sankatmochan Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh and Smt. Purnima Thakur d/o Sh. Man Singh Thakur, r/o Thakur Niwas, Airport Road, Totu Shimla, District Shimla Himachal Pradesh have file application alongwith affidavits in the Court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 09-12-2012 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages of Gram Panchayat concerned /Municipal Corporation Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, then they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 31-12-2024.

Seal.

Sd/-  
*Marriage Officer-cum-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (Rural).*

**In the Court of Marriage Officer-cum- Sub-Division Magistrate, Shimla Rural,  
District Shimla, Himachal Pradesh**

1. Sh. Akshant Chauhan s/o Sh. Anil Kumar, r/o Swaran Phool Castle, Vikas Nagar, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh Age 29 years.

2. Smt. Vartika d/o Sh. Vinod Kumar, r/o Village Langha, Tehsil Jaisinghpur, Inder Nagar (658), Jalag, Kangra Himachal Pradesh Age 27 years.

*Versus*

General Public

*Registration of marriage under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996.*

Sh. Akshant Chauhan s/o Sh. Anil Kumar, r/o Swaran Phool Castle, Vikas Nagar, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh and Smt. Vartika d/o Sh. Vinod Kumar, r/o Village Langha, Tehsil Jaisinghpur, Inder Nagar (658), Jalag, Kangra Himachal Pradesh have filed application alongwith affidavits in the Court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 25-09-2023 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages of Gram Panchayat concerned/ Municipal Corporation Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, then they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 31-12-2024.

Seal.

Sd/-  
*Marriage Officer-cum-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (Rural).*

**In the Court of Sh. Gopal Chand Sharma (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh**

Smt. Sonia w/o Sh. Pawan Kumar, r/o Cow Shed No. 1, Krishna Nagar, Shimla Tehsil & District Shimla (H.P.) . . Applicant.

*Versus*

General Public .. Respondent.

*Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Smt. Sonia w/o Sh. Pawan Kumar, r/o Cow Shed No. 1, Krishna Nagar, Shimla Tehsil & District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her daughter namely NOOR (DOB.10-11-2019) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 31st December, 2024.

Seal.

Sd/-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Surender Mohan, Sub-Divisional Megistrate, Kumarsain, District Shimla (H.P.)**

Smt. Radha Devi w/o Late Sh. Raju, r/o House No. 27, Makimpur, P.O. Deepalpur, District Sonipat, Haryana-131021 c/o Sh. Kewal Ram, Village Karalti, P.O. Madhawani, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla, (H.P.)

*Versus*

General Public

*Application under section 13(3) of the Registration of Births & Deaths Act, 1969 to enter the death of Sh. Raju, s/o Shri Dev Singh in record of the Registrar, Birth & Deaths, Gram Panchayat Madhawani.*



Whereas Smt. Radha Devi w/o Late Sh. Raju, r/o House No. 27, Makimpur, P.O. Deepalpur, District Sonipat, Haryana-131021 c/o Sh. Kewal Ram, Village Karalti, P.O. Madhawani, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla, (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Registration of Births & Deaths Act, 1969 to enter the death of her husband namely Sh. Raju s/o Sh. Dev Singh, r/o House No. 27, Makimpur, P.O. Deepalpur, District Sonipat, Haryana-131021 c/o Sh. Kewal Ram, Village Karalti, P.O. Madhawani, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla, (H.P.) in the record of the Registrar, Births & Deaths-cum-Secretary, Gram Panchayat Madhawani, Tehsil Kumarsain as under :—

Sl. No.	Name of person	Relation of deceased person with applicant	Date of birth
1.	Sh. Raju s/o Sh. Dev Singh	Husband	01-02-2024

Hence, this proclamation is hereby issued to the general public that if they have any objection/claim with regard to entry of death of Sh. Raju s/o Sh. Dev Singh in record of the Registrar, Births & Deaths-cum-Secretary, Gram Panchayat Madhawani, Tehsil Kumarsain, District Shimla, then they may file their written objections/claims in this court on or before one month of publication of this proclamation in Government Gazette, failing which the necessary orders will be passed for entry of birth.

Issued on 23rd day of December, 2024 under my seal & signature.

Seal.

Sd/-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Kumarsain, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chopal,  
District Shimla, H.P.**

In the matter of :

Case No.

1. Sh. Akash Verma s/o Sh. Sohan Singh, Village Gyau, P.O. Nakora Pul, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.) . . Applicant.

*Versus*

1. General Public
2. Sh. Rajinder Singh s/o Sh. Kamal Singh Kandhari, Village Kathiyana, P.O. Chambi, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.)
3. Smt. Purnu Devi w/o Sh. Rajinder Singh, Village Kathiyana, P.O. Chambi, Teshil Chopal, District Shimla (H.P.)
4. Smt. Prathiba d/o Sh. Rajinder Singh Village Kathiyana, P.O. Chambi, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.) w/o Sh. Akash Verma at present Village Gyau, P.O. Nakora Pul, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.) . . (2nd Party)

*Application for* registration of marriage u/s 15 Special Marriage Act, 1954.

Sh. Akash Verma s/o Sh. Sohan Singh, Village Gyau, P.O. Nakora Pul, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.) has filed an application under section 15 Special Marriage Act, 1954 along with supporting documents such as attested affidavit, marriage Certificate issued by the Gram-Panchayat Secretary GP Jhina, Tehsil Chopal, Matriculation Certificates, Adhar cards copies his own and of Smt. Prthiba, to this court wherein, he has stated that they have solemnized their marriage on till date and intend to register his marriage. They have also a female child named Yamy Verma, her date of Birth is 28-04-2024.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person, having any objection regarding registration of this marriage can file his/her objections personally or in writing before this court on or before 29-01-2025. In case no objections are received by 29-01-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the marriage and the same will be registered accordingly.

Issued today my hand and seal of the Court on this 26th day of December, 2024

Seal.

Sd/-  
*Marriage Officer-cum-SDM,  
Chopal, District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chopal, District Shimla (H.P.)**

Case No. 12/2024

In the matter of :

Sh. Rajinder s/o Sh. Kehru, Village Shapra, P.O. Chambi, Tehsil Chopal, District Shimla  
H.P. . . *Applicant.*

*Versus*

General Public

. . *Respondent.*

**PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME IN THE AADHAR CARD**

Whereas, applicant Sh. Rajinder s/o Sh. Kehru, Village Shapra, P.O. Chambi, Tehsil Chopal, District Shimla H.P. has submitted an application to this Court with the request that the name of his daughter Sarishti has been written in the Aadhar card as Shruti Sharma which is wrong. With his application he has enclosed copy of Aadhar Card of his daughter, copy of birth certificate issued by the Registrar Birth and Death Gram-Panchayat Nanhar, Tehsil Chopal on the form-5 and copy of his family register, wherein, her name has been written as Sarishti, while in the Aadhar Card her name is written as Shruti Sharma which is wrong, as per the all relevant documents associated with the application.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding correction of name in the Aadhar Card of applicant's daughter in Place of

Shruti Sharma as Sarishti, they may appear before the undersigned on or before 29-01-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order will be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 26th day of the December, 2024 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Chopal, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

Devender Dogra s/o Late Sh. Sukh Dass, r/o Village Prandli, P.O. Kareri, Tehsil Rampur,  
District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

**PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME**

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of his name from "DHARMENDER DOGRA" to "DEVENDER DOGRA" in the records of his son educational certificates and others documents related to his son.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to change their name in his son educational certificates as DEVENDER DOGRA s/o Late Sh. Sukh Dass in place of DHARMENDER DOGRA s/o Late Sh. Sukh Dass, they should appear before the undersigned on or before 18-01-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 20th day of the December, 2024 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-  
(NISHANT TOMAR, HAS),  
Sub-Divisional Magistrate,  
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

**Office of the Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

No. Reader- SDM/Nahan/2025-21

Dated : 04-01-2025

**PUBLICATION OF NOTICE**

The following persons have submitted an application for solemnization of marriage under the Special Marriage Act, 1954. If anyone has any objection on the grounds specified in the Act, in respect of this solemnization of marriage, if he/she so wished may submit the objection by 02-02-2025.

**Name of Bridegroom :**

Sh Shivendra Prasad Tiwari s/o Sh. Rajendra Prasad Tiwari, r/o A-188 Ashray, Sec. 3 Eldico 2, Raibareilly Road, Lucknow, U.P. Pin-226 025, presently residing at OMQ No. 8, Officers Enclave, High Ground Air Force Station, Zirakpur, Punjab-160 004.

**Name of Bride :**

Smt. Shiza Thakur d/o Sh. Jai Singh Thakur, r/o House No. 309/9, Behind JBT School, Ranital Garden, Nahan, District Sirmaur (H.P.).

Seal.

Sd/-  
(RAJEEV KUMAR SANKHYAN, HAS),  
Addl. Registrar, Under Special Marriage Act-cum-  
Sub-Divisional Magistrate, Nahan,  
District Sirmaur (H.P.).

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), दुलैहड़,  
जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 116, 117 / ना0त0दु0 / 2024

इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा 23 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

छिन्दो देवी पत्नी श्री दर्शन लाल, निवासी सिगां उर्फ सूर कलां, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना,  
हि0 प्र0 वादी/वादीगण।

बनाम

1. जोगिन्दर सिंह पुत्र सीता राम, निवासी हाऊस नं0 14558, गली नं0 2, महाराणा प्रताप नगर,  
लुधियाना, पंजाब, 2. हनी कुमार, मनी कुमार पुत्र व श्रीमती सन्तोष देवी पुत्री सीता राम, निवासी कोट मैरा,  
उप-तहसील गढशकरं, जिला होशियारपुर, पंजाब प्रतिवादी।

समन मुश्त्री मुनादी बनाम प्रतिवादीगण  
जमादार उप-तहसील दुलैहड़

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में इस न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है इसलिए आपको निर्देश दिये जाते हैं कि देह हजा में बजरिया मुश्त्री मुनादी समाचार पत्र के द्वारा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित करें कि वे मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या

वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 16-01-2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित हों। बावजूद मुश्री मुनादी हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 19-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी),  
दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 17/B&D/T/U/2024 किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 16-01-2025

वासमती देवी पत्नी अवदेश महातो, वासी लोयर वाथडी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना—पत्र मृत्यु पंजीकरण वासमती देवी पत्नी अवदेश महातो, वासी लोयर वाथडी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन मृत्यु पंजीकरण एम. सी. ऊना ने इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसके पुत्र जोगी कुमार पुत्र अवदेश महातो की मृत्यु दिनांक 15-08-2022 को एम. सी. ऊना में हुई थी परन्तु यह मृत्यु पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत टव्वा के रजिस्टर में दर्ज न हो सकी।

अतः इशतहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुश्री मुनादी व चस्पानगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 16-01-2025 को सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एम0सी0 ऊना को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 12-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)**

1. श्री कुशल कुमार पुत्र गरीब दास, निवासी गांव हीरा नगर वार्ड नं0 4, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।
2. श्रीमती पूनम मन्हास पुत्री परस राम, निवासी गांव लांज, तहसील हार चक्कियां, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।

श्री कुशल कुमार पुत्र गरीब दास, निवासी गांव हीरा नगर वार्ड नं0 4, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती पूनम मन्हास पुत्री परस राम, निवासी गांव लांज, तहसील हार चक्कियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के साथ दिनांक 11-10-1997 को मुताबिक हिन्दू रीति—रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति—पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण नगर पंचायत अम्ब के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/मुन्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 16-01-2025 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 05-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, गगरेट स्थित कलोह, उप—तहसील गगरेट स्थित कलोह,  
जिला ऊना (हि0प्र0)**

विवाह पंजीकरण

1. श्री मंगा राम पुत्र श्री संत राम, निवासी गांव गगरेट अप्पर, उप—तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0)।

2. श्रीमती तृप्ता रानी शर्मा पुत्री श्री वेद राज शर्मा, वासी गांव बड़ोह, हाल पत्नी श्री मंगा राम पुत्र श्री संत राम, निवासी गांव गगरेट अप्पर, उप—तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0)।

प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

श्री मंगा राम पुत्र श्री संत राम, निवासी गांव गगरेट अप्पर, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) व श्रीमती तृप्ता रानी शर्मा पुत्री श्री वेद राज शर्मा, वासी गांव बड़ोह, हाल पत्नी श्री मंगा राम पुत्र श्री संत राम, निवासी गांव गगरेट अप्पर, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उनकी शादी दिनांक 10-11-1983 को मुताबिक हिन्दु रीति-रिवाज से हुई थी परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत गगरेट अप्पर के अभिलेख में नहीं करवाया है। प्रार्थी व प्रार्थिया ने अपनी शादी की पुष्टि बारे अपनी विवाह की फोटो, शपथ-पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किए हैं। रिपोर्ट सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत गगरेट अप्पर के अनुसार उक्त शादी सम्बन्धित पंचायत गगरेट अप्पर में दर्ज न है। अब प्रार्थीगण अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इशतहार/मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16-01-2025 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही करके नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0)।

### ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 :  
09 / T/N Corr. / 2023

किस्म मुकद्दमा :  
नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी :  
28-01-2025

सुखदेव शर्मा पुत्र पिंजू राम उर्फ प्रेम प्रकाश, निवासी सरड वम्मी, डा0 सरड, डोगरी रक्कर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 हाल निवासी हाऊस नं0 05, जे.एस.इस्टेट, नियर फ्रैंडस कलोनी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी सुखदेव शर्मा पुत्र पिंजू राम उर्फ प्रेम प्रकाश, निवासी सरड वम्मी, डा0 सरड, डोगरी रक्कर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 हाल निवासी हाऊस नं0 05, जे.एस.इस्टेट, नियर फ्रैंडस कलोनी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल कोटला खुर्द में सुखदेव सिंह पुत्र पिंजू राम उर्फ प्रेम प्रकाश दर्ज है जबकि उसका सही नाम सुखदेव शर्मा पुत्र पिंजू राम उर्फ प्रेम प्रकाश है लिहाजा इसे दुरुस्त करके सुखदेव सिंह उर्फ सुखदेव शर्मा पुत्र पिंजू राम उर्फ प्रेम प्रकाश किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः इस नोटिस इशतहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुन्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 28-01-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 23-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)**

मिसल नं0 :  
32/ Corr. /T/U/ 2024

किस्म मुकद्दमा :  
नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी :  
28-01-2025

श्री राजिन्द्र कुमार पुत्र वाल कृष्ण, वासी लमलेहडी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री राजिन्द्र कुमार पुत्र वाल कृष्ण, वासी लमलेहडी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल लमलेहडी निचली में राज कुमार पुत्र वाल कृष्ण दर्ज है जबकि मेरा सही नाम राजिन्द्र कुमार पुत्र वाल कृष्ण है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके राज कुमार उर्फ राजिन्द्र कुमार पुत्र वाल कृष्ण किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाण-पत्र, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः इस नोटिस इशतहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुन्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 28-01-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 23-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0)**

श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री साधू सिंह, निवासी गांव व डा0 गगरेट, वार्ड नं0 03, उप-तहसील गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0) प्रार्थी।



## बनाम

शालिनी जसवाल पुत्री श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री साधू सिंह, निवासी गांव व डा0 गगरेट, वार्ड नं0 03, उप-तहसील गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0) प्रत्यार्थी।

बेदखली नोटिस :

प्रार्थी श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री साधू सिंह, निवासी गांव व डा0 गगरेट, वार्ड नं0 03, उप-तहसील गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0) आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें वर्णन किया है कि:-

यह कि मेरी पुत्री शालिनी जसवाल पुत्री श्री सतनाम सिंह जो मेरे कहने से बाहर है और अपनी मनमर्जी करती है तथा उसने मुझे व मेरे परिवार को बिना बताए और अपनी मर्जी से शादी कर ली है। उसकी इस हरकत से मेरी आत्मा काफी दुखी है।

यह कि मुझे नहीं पता कि शालिनी जसवाल इस समय कहां पर है।

यह कि मैं अब अपनी पुत्री शालिनी जसवाल को अपने घर परिवार से बेदखल करता हूं मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का शालिनी जसवाल के साथ कोई भी सम्बन्ध वास्ता न रहा है और न ही भविष्य में रहेगा।

यह कि आज के बाद शालिनी जसवाल का मेरी जमीन जायदाद (चल व अचल सम्पत्ति) रुपया पैसा इत्यादि से व मेरे परिवार के अन्य किसी भी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी लेना-देना/सम्बन्ध वास्ता नहीं होगा।

यह कि पुत्री शालिनी जसवाल भविष्य में यदि किसी के साथ कोई लेन-देन या लड़ाई झगड़ा या अन्य किसी भी प्रकार का कोई गैर-कानूनी कार्य करती है उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगी। मेरा उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन नहीं होगा और न मेरी कोई जिम्मेवारी होगी।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्य वेदखली नोटिस ई-गजट में प्रकाशन करने की अनुकंपा करें।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
तसहीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
घनारी, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

## CHANGE OF NAME

I, Kiran Jyoti w/o Sh. Rajeev Kumar, r/o Village Dharnasi, P.O. Bharthian, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Anmol Sharma to Vansh Sharma for all purpose in future. Please note.

KIRAN JYOTI  
w/o Sh. Rajeev Kumar,  
r/o Village Dharnasi, P.O. Bharthian,  
Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, Rishi Kumar s/o Sh. Sandeep Kumar, r/o Village Oder, P.O. Bhawarna, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) have changed my name from Rishi to Rishi Kumar for all purpose in future. All concerned note it.

RISHI KUMAR  
s/o Sh. Sandeep Kumar,  
r/o Village Oder, P.O. Bhawarna,  
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, Vikas Kumar s/o Sh. Tilak Raj, r/o VPO Chhanni. Tehsil Indora, District Kangra (H.P.) declare that my daughter's name wrongly written as Kartika Instead of Kritika Lodhi in the school records of KVS Nangal Bhur.

VIKAS KUMAR  
s/o Sh. Tilak Raj,  
r/o VPO Chhanni,  
Tehsil Indora, District Kangra (H.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, Pritam Chand s/o Sh. Ram Dayal, r/o Village Dhungri, P.O. Old Manali, Tehsil Manali, Destrict Kullu (H.P.) declare that due to mistake the name of my son has wrongly been recorded in the Aadhr Card bearing No. 6278 9354 4443 as Vanshu instead Kiran that now I want to correct the name of my son as Kiran in all documents.

PRITAM CHAND  
s/o Sh. Ram Dayal,  
r/o Village Dhungri, P.O. Old Manali,  
Tehsil Manali, Destrict Kullu (H.P.).

**PUBLIC WORKS DEPARTMENT****CORRIGENDUM**

*Shimla-2 the 8th January, 2025*

**No. PBW(B)A(3)1/2024.**—The Notification regarding guidelines for publication of notice and processing of tenders was issued *vide* this department letter of even number dated 03-01-2024. The date of said Notification be read as “03-01-2025” instead of “03-01-2024”.

By order,

*Secretary (PW).*